

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 16-02-2015 at time 3:50 pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Maudiyar-Gwatoli** area measuring **4.410** hect for the **Construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli Motor Road (Length 12.00) in Distt-Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.


उपनिधकारी
बागेश्वर

Place: Bageshwar

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

Dated: 16-02-2015

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

Dated 16-02-2015

NO.....

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.410 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli Motor Road (Length 12.00) in distt Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.410 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexer.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**
Enclosed- as above

Signature

Dated 16-02-2015


जिलाधिकारी
बागेश्वर

(Bhupal Singh Manral)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No.....

Dated... 16-02-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.410** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli Motor Road (Length 12.00) in distt Bageshwar.**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.410** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Maudiyar Gwatoli** Village (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above


निर्वाहिकारी
बागेश्वर

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar

परियोजना का नाम:- :-एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, दुगनाकुरी

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग (आरक्षित वन भूमि 1.050 हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0 , अर्थात कुल 4.410 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दुगनाकुरी) की दिनांक 29-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दुगनाकुरी) की दिनांक 29-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिचारा म चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


- 1- श्री. फिचारा म चौहान उपजिलाधिकारी बागेश्वर अध्यक्ष
- 2- श्री. कालू राम वर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी कपकोट सदस्य / सचिव
- 3- श्री. जगदीश राम बी0डी0सी0 क्षेत्र पलायन सदस्य
- 4- श्री. जगदीश राम बी0डी0सी0 क्षेत्र पलायन सदस्य


जगदीश राम
सदस्य
क्षेत्र पंचायत पलायन
वि.ख. / जिला-बागेश्वर
(उत्तरखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली मोटर मार्ग के परियोजना हेतु, 4.410 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।


बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली मोटर मार्ग के परियोजना निर्माण हेतु 4.410 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-बागेश्वर



उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
बागेश्वर
तहसील दुमनापुरी
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-बागेश्वर

जगदीश राव
सदस्य
क्षेत्र पंचायत पलायन
वि.ख./जिला-बागेश्वर
(उत्तराखण्ड)


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
बागेश्वर
तहसील दुमनापुरी
जनपद बागेश्वर

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मउडियार (नेसानी)

तहसील का नाम दुगानापुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 1.050 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0) अर्थात कुल 4.410 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मउडियार द्वारा दिनांक 20/11/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मउडियार के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव

Whunqyam
सरपंच
वन पंचायत मउडियार
पट्टी दुग पो० बनलेख
तहसील/जिला-बागेश्वर
20/11/2015

ह0/-

20/11/2015
ग्राम प्रधान
पो०-बनलेख, मउडियार, जिला-बागेश्वर
कि० ड० व जिला-बागेश्वर (डेका)

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्वातोली

तहसील का नाम दुग्गनापुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 1.050 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0) अर्थात् कुल 4.410 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्वातोली द्वारा दिनांक 4.9.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्वातोली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-

ह0/--

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान
Primal
प्रधान

ग्राम पंचायत चुनावतल
वि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक.....19-1-15.....को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत.....ग्वातोली.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1.	ग्राम प्रधान जुनाथल	<u>Dinal</u>
2.	सरी प्रसाद	सरी प्रसाद
3-	हरपान राम	हरपान राम
4-	दीवान राम	दीवान राम
5-	गुमान राम	गुमान राम
6-	गोविन्द राम	गोविन्द राम
7.	भावा राम	भावा राम
8-	भैरव राम	भैरव राम
9.	वमश राम	वमश राम
10.	उमेश राम	उमेश राम
11.	पुशन राम	पुशन राम
12.	हरेश राम	हरेश राम
13.	अन्य राम	अन्य राम
14-	सुरेश चन्द	सुरेश चन्द
15-	प्रेम वल्य	प्रेम वल्य

ह0/--

ग्राम प्रधान
Dinal
प्रधान

ग्राम पंचायत जुनाथल
दि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक.....19-1-15.....को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत.....ग्वातोली.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1.	ग्राम प्रधान जुनाथल	<u>Dinal</u>
2.	सरी प्रसाद	सरी प्रसाद
3.	हरपान राम	हरपान राम
4.	दीवान राम	दीवान राम
5.	गुमान राम	गुमान राम
6.	गोविन्द राम	गोविन्द राम
7.	भावा राम	भावा राम
8.	भैरव राम	भैरव राम
9.	वमश राम	वमश राम
10.	उमेश राम	उमेश राम
11.	पुशन राम	पुशन राम
12.	हरेश राम	हरेश राम
13.	अन्य राम	अन्य राम
14.	सुरेश चन्द	सुरेश चन्द
15.	प्रेम वल्य	प्रेम वल्य

ह0/--

ग्राम प्रधान

Dinal
ग्राम प्रधान


ग्राम पंचायत जुनाथल

वि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

आज दिनांक 19/11/2015 को वन पंचायत
ग्राम पंचायत जुनायल को बैठक श्री प्रसन्नचन्द जोशी की
अध्यक्षता में सम्पन्न की जाती है जिसमें ग्राम
पंचायत जुनायल में scp से रोड स्वीकृत है रोड का
नाम वनलेश्वरी मीडियम गवर्नमेंट है इस रोड के ग्राम
पंचायत जुनायल के वन पंचायत में रोड होने से
वन पंचायत जुनायल एवं ग्राम पंचायत को कोई
आपील नहीं है अनापील प्रस्ताव पारित किया जाता है
प्रस्ताव सर्व सम्मत से पारित

सदस्य गण

रेखा जोशी
हेमा जोशी
प्रसन्नचन्द जोशी
उमेश जोशी
सुनील जोशी


सरपंच

वन पंचायत जुनायल
तहसील/जिला बागेश्वर

आज दिनांक 12-04-2015 को वन पंचायत ग्राम पंचायत

मौजिदार की बैंक जी धनराश रास की अव्यक्ता में सम्पन्न की जाती है जिले में ग्राम पंचायत मौजिदार में SCF से रोड लकीकृत है रोड का नाम बनलेख मौजिदार जवाबोली है इस रोड के ग्राम पंचायत मौजिदार के वन पंचायत में रोड आने से वन पंचायत मौजिदार एवं ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। अनापत्ति पुस्तक प्रारित किया जाता है पुस्तक सर्व सम्मति से पारित।

सबस्य गण

कुंवरकुमार


गोपाल राम

तुलसी देवी


जानकी देवी

उसनीता देवी

मि मोहनराम



दुर्गा नन्दन जोशी



मि मोहनराम

Whamshy anram
सरपंच
वन पंचायत मौजिदार
पट्टी हुग पो० बनलेख
तहसील/जिला-बाभेश्वर.

आज दिनांक 12-04-2015 को वन पंचायत ग्राम पंचायत

मौजिदार की बैंक जी धनराश राश की अव्यक्ता में सम्पन्न की जाती है जिले में ग्राम पंचायत मौजिदार में SCF से रोड लकीकृत है रोड का नाम वनलेख मौजिदार गवातोली है इस रोड के ग्राम पंचायत मौजिदार के वन पंचायत में रोड आने से वन पंचायत मौजिदार एवं ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। अनापत्ति पुस्तक प्रारित किया जाता है पुस्तक सर्व सम्मति से पारित।

सबस्य गण

कुम्हार

गोपाल राम

तुलसी देवी

जानकी देवी

उसनीता देवी

मि मोहनराम



दुर्गा नन्दन जोशी



मि मोहनराम


Whamshy anjam

, सरपंच

वन पंचायत मौजिदार
पट्टी हुग पो० वनलेख
तहसील/जिला-बाभेश्वर.

आज दिनांक 19/1/2015 को वन पंचायत ग्राम पंचायत -












जुनायत की बैठक श्री सरपंच जी की अध्यक्षता में सम्पन्न की जाती है जिसमें ग्राम पंचायत जुनायत में DCP से रोड स्वीकृत है रोड का नाम वनलैव भौंडिया जवालोला है इस रोड के ग्राम पंचायत जुनायत के वन पंचायत में रोड आने से वनपंचायत जुनायत एवं ग्राम पंचायत जुनायत को कोई आपात नहीं है, आपात प्रस्ताव पारित किया जाता है प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित

ड. सरपंच जुनायत

 सरपंच

वन पंचायत जुनायत
 तहसील/जिला बागेश्वर

नाम

हस्ताक्षर

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. गोविन्द जोशी - | 1.  |
| 2. मन्जु जोशी (उप प्रधान) | 2. मन्जु जोशी |
| 3. देवकी नन्दन जोशी | 3.  |
| 4. विश्वम्भर दात जोशी | 4.  |
| 5. प्रशिक्षक जोशी | 5.  |
| 6. हेमा जोशी | 6. हेमा जोशी |
| 7. गीता जोशी | 7. गीता जोशी |
| 8. सुरेश चन्द्र जोशी | 8. सुरेश चन्द्र जोशी |
| 9. दीपा जोशी | 9. दीपा जोशी |
| 10. हरीश चन्द्र जोशी | 10.  |
| 11. प्रेम कलम जोशी | 11.  |
| 12. हंसी देवी जोशी | 12. हंसी देवी |
| 13. रमेश चन्द्र जोशी | 13.  |
| 14. दीपक चन्द्र जोशी | 14.  |
| 15. गंकर दात जोशी | 15.  |
| 16. डा० रघुकर दात जोशी | 16.  |
| 17. हरीश चन्द्र जोशी | 17.  |

18.	जीवन चन्द जोशी	18	जीवन चन्द
19	गणेश दा जोशी	19	गणेश दा जोशी
20	मनोहर दा जोशी	20	मनोहर दा जोशी
21	मनोज कुमार जोशी	21	मनोज
22	मुवन चन्द कांडपाल	22	Baralax
23	हरीश चन्द कांडपाल	23	हरीश कांडपाल
24	नरेश विश्वेश जोशी	24	नरेश विश्वेश जोशी
25	पनोहर जोशी	25	पनोहर
26	दीपा जोशी	26	दीपा जोशी
27	खड्गदास दा जोशी	27	खड्गदास
28	श्रीधर दा जोशी	28	श्रीधर
29	गणेश चंद जोशी	29	गणेश
30	दीवान राम	30	दीवानराम
31	रानी राम	31	रानीराम
32	काशराम दा जोशी	32	काशराम दा - 12
33	दीनाराम दा जोशी	33	दीनाराम
34	महेश चंद जोशी	34	Mahesh
35	परमानंद दा	35	परमानंद

आज दिनांक 12-07-2015 को वन पेचापत ग्राम

पेचापत भौंडियार की बैठक सरपंच श्री धनश्याम राम जी की अध्यक्षता में सम्पन्न की जाती है जिसमें ग्राम पेचापत भौंडियार में SLP से रोड स्वीकृत है रोड का नाम वनसेख भौंडियार जवोलाणी है इस रोड के ग्राम पेचापत भौंडियार के वन पेचापत प्रति जाने से वन पेचापत भौंडियार एवं ग्राम पेचापत को कोई आपत्ति नहीं है अनापत्त प्रस्ताव पारित किया जाता है प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित

इस्तका सरपंचगण

डा. सरपंच वनपेचापत भौंडियार

वन पेचापत भौंडियार पट्टी हुए जो वनसेख प्रस्ताव/विना-बाधेपत्र

अतिथि पत्रिका
सादी राम
म. धनराय
पुष्कराम
धनश्याम

Kaush
ANKIT
रमेश राम
दीवान राम
पुष्कर राम
धनी राम
मिल राम

गुप्त



नि. क. भौंडियार

Yashwanth Ram Jamm
जापाल राम

तुलसी देवी

अनीता देवी

जानकी देवी

Bejant

तिलोक राम

M. K. Ram

रमेश राम

दीवान राम

विक्रम राम

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- एन.एन.टी.एन.पी.के. अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - अउडिया
 तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनलेख अउडिया, बागेश्वर परियोजना के निर्माण हेतु (----- हे० आरक्षित वन भूमि, ----- हे० सिविल सोयम भूमि..... हे० वन अन्तर्गत भूमि 1.715 हे०) अर्थात् कुल 4.410 हे० वन भूमि का बागेश्वर विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अउडिया द्वारा दिनांक 12-1-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अउडिया के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

HO / -
 ग्राम सचिव
सरपंच Ghumshyam Ram
 वन पंचायत मौउडियार
 पट्टी दुग पो० वनलेख
 तहसील/जिला-बागेश्वर

HO / -
 प्रधान
 ग्राम सभा पंचायत मौउडियार
 बागेश्वर (बागेश्वर)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
 उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 17-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ... मउडिया ()

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीकृष्ण जोशी	
2	महेन्द्र चंद्	
3	हरेश चंद् जोशी	
4	जालिन जोशी	
5	रमेश चंद्	
6	दया कृष्ण	
7	शंकर चंद्	
8	चिरीश चंद्	
9	रघुवर दत्त	
10	वल्लभ वल्लभ	
11	केजाल चंद्	
13	भुवन चंद् जोशी	
14	दशरथ जोशी	
15	श्रीधर जोशी	
16	जोगाराम	
17	फकीरराम	
18	सदाशिव	
19	जाननाथ	
20	श्री विशनदा	
21	फकीरराम	
22	रमेशराम	
24	शंकरराम	
25	धनश्यामराम	

Chhanskyam Ram
 सरपंच
 वन पंचायत मउडियार
 पट्टी दुग पो० वनलेख
 तहसील/जिला-वागेश्वर

हउ/-
 ग्राम प्रधान

 प्रधान
 ग्राम पंचायत मउडियार
 वि० ख० वागेश्वर (वागेश्वर)

परियोजना का नाम:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वाताली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुदिल
तहसील का नाम दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि, 1.050 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0) अर्थात् कुल 4.410 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुदिल द्वारा दिनांक 19.01.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जुनायल के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव

सचिव

वन पंचायत सुदिल

तहसील/जिला बागेश्वर

कमलादेवी

ह0/

ग्राम पंचायत सुदिल

ग्राम पंचायत सुदिल

बागेश्वर (बागेश्वर)

परियोजना का नाम:-एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वोताली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक...19-01-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत.....सुन्दर.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
	जलजन्त सिंह पवोला	
	रतन सिंह	
	शुशाल सिंह	
	केसर सिंह	
	भागिरथी देवी पूर्व प्रधान	
	बाबू सिंह	
	कैलाश सिंह	
	सुरज सिंह	
	कमला देवी प्रधान	
	जाल सिंह	
	उदे सिंह	
	दयाल सिंह	
	निरज सिंह	
	जलिला देवी	
	गोपाल सिंह	
	वासन्ती देवी	
	बहादुर सिंह	
	कस्तुरी देवी	
	खड्डी देवी	
	शेर सिंह	
	प्रताप सिंह	
	शेर सिंह	

कमला देवी
ग्राम पंचायत सुन्दर
ह0 /
19-01-2015 भागेश्वर (बागेश्वर)
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वाताली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जुनायल
तहसील का नाम दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि, 1.050 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0) अर्थात कुल 4.410 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जुनायल द्वारा दिनांक 19.01.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जुनायल के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव

सरपच

वन पंचायत जुनायल
तहसील/जिला बागेश्वर

ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रधान

वन पंचायत जुनायल
तहसील-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम:-

दिनांक 19-1-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जुनायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	विनोद चंद्र	<u>Vinod</u>
2	विश्वर दत्त	<u>विश्वर दत्त</u>
3	दिनेश चंद्र	<u>दिनेश चंद्र</u>
4	मनोहर दत्त	<u>मनोहर दत्त</u>
5	हरीश कांडुपाल	<u>हरिश चन्द</u>
6	हरी शकर	<u>HARI</u>
7	महेश दत्त	<u>Mahesh</u>
8	प्रकाश चंद्र	<u>प्रकाश चंद्र</u>
9	सुरेश चंद्र	<u>सुरेश चंद्र</u>
10	विमान राम	<u>विमान राम</u>
11	देव राम	<u>देव राम</u>
12	शिवानी देवी	<u>शिवानी देवी</u>
13	गंगा देवी	<u>गंगा देवी</u>
14	वज्रना देवी	<u>वज्रना देवी</u>
15	प्रमोद जोशी	<u>प्रमोद जोशी</u>
16	मन्जु जोशी	<u>मन्जु जोशी</u>
17	रमेश चंद्र	<u>रमेश चंद्र</u>
18	पुष्पा जोशी	<u>पुष्पा जोशी</u>
19	दीपक राम	<u>दीपक राम</u>
20	मोहन राम	<u>मोहन राम</u>
21	गोविन्द राम	<u>गोविन्द राम</u>
22	प्रेम कल्ल	<u>Premkall</u>
23	नन्दकिशोर	<u>नन्दकिशोर</u>
24	गोविन्द कुमार	<u>गोविन्द</u>
25	दिपक जोशी	<u>दिपक</u>
26	एस जी जोशी	<u>एस जी</u>

Pranish
सरपंच
ग्राम पंचायत जुनायत
बड़सील/जिला बागेश्वर

H0/-
ग्राम प्रधान
Vinod
ग्राम पंचायत जुनायत
वि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)